न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 5 / 2020

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

1. हापूराम पुत्र पेमाराम
   जाति जाट निवासी बरना
   तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
   हालनिवास राजस्थान हॉस्पीटल
   के सामने नांदड़ी जोधपुर,
2. श्रीमती संतोष पुत्री देवाराम
   पत्नी नेमाराम जाति जाट
   निवासी ग्राम झाक तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. श्रीमती नीतू पुत्री देवाराम
   पत्नी अनिल जाति जाट
   निवासी ग्राम भावी तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर
4. श्रीमती सुमित्रादेवी पुत्री शंकरराम
   पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी
   भावी, तहसील बिलाड़ा, हालनिवास
   डाली बाई के मंदिर के पास पावटा
   जोधपुर, जिला जोधपुर
5. नेमाराम पुत्र स्व. देवाराम
6. महेन्द्र पुत्र स्व. देवाराम
7. देवी पत्नी देवाराम
8. शोभा पुत्री देवाराम
9. संतोष पुत्री देवाराम
10. सुशीला पुत्री देवाराम
11. बुधिया पुत्री देवाराम
12. सुमन पुत्री देवाराम
    जातियान जाट निवासीगण
    बरना, तहसील बिलाड़ा
    जिला जोधपुर

1. नारायणराम पुत्र लादूराम
2. रूपाराम पुत्र लादूराम
3. श्रीमती अणचाई उर्फ अणचीदेवी
   पत्नी लादूराम
4. संतोष पुत्री लादूराम
   जातियान जाट (खदाव)
   निवासीगण बरना, तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर
5. नाथूराम पुत्र लाबूराम
   जाति जाट निवासी बरना
   तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
6. श्रीमती केलीदेवी पुत्री लाबूराम
   पत्नी नाथूराम ढाका जाति जाट
   निवासी रेपड़ावास, तहसील
   सोजत सिटी, जिला पाली
7. श्रीमती विद्यादेवी पुत्री लाबूराम
   पत्नी मोहनलाल जाति जाट
   निवासी धुन्धला तहसील
   सोजत सिटी, जिला पाली
8. श्रीमती प्यारीदेवी पत्नी लाबूराम
   जाति जाट निवासी बरना
   तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
9. प्रभुराम पुत्र मुकनाराम
10. श्रीमती गुट्टीदेवी पत्नी पेमाराम
11. छोटूराम पुत्र पेमाराम
12. श्रीमती गंगादेवी पत्नी देवाराम
13. हरीराम पुत्र मूलाराम
14. पेमाराम पुत्र मूलाराम
15. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
16. रामनिवास पुत्र भंवरलाल
17. राजूराम पुत्र भंवरलाल
18. श्रीमती गुटकी पत्नी भंवरलाल
19. गोरधनराम पुत्र पेमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:06 IST
Reason: SelfAttested

20. तुलछाराम पुत्र पेमाराम
21. गिरधारीराम पुत्र पन्नाराम
22. अर्जुनराम पुत्र पन्नाराम
23. चैनाराम पुत्र पन्नाराम
24. गोविन्दसिंह पुत्र मयाराम
25. देवी पत्नी मयाराम
26. हरजीराम पुत्र हणुतराम
27. दूदाराम पुत्र हणुतराम
28. भंवरलाल पुत्र घीसाराम
29. मुथरादेवी पत्नी गंगाराम
30. खीयाराम पुत्र गंगाराम
31. संतोष पुत्री गंगाराम
32. गणपत पुत्री गंगाराम
33. राधा पुत्री गंगाराम
34. जबराराम पुत्र किशोरराम
35. मांगीलाल पुत्र किशोरराम
36. खमादेवी पुत्री घीसाराम
37. सायरीदेवी पुत्री घीसाराम
38. सुन्दरीदेवी पुत्री घीसाराम
39. सुरेन्द्र चौधरी पुत्र शंकरराम
40. मैनादेवी पत्नी शंकरराम
41. मानसिंह उर्फ मानाराम
    पुत्र गोकलराम
42. सेणीदेवी पुत्री धूलाराम
    जातियान जाट निवासीगण
    बरना, तहसील बिलाड़ा
43. राजस्थान सरकार जरिये
    तहसीलदार बिलाड़ा
44. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड
    जयपुर शाखा बिलाड़ा
45. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया
    शाखा बिलाड़ा
46. सहकारी भूमि विकास बैक
    शाखा बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से–श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या :– 5,11,19,20 से 25,27,28,32,34,39 की ओर से श्री महेन्द्र सिह राठौड़ अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या :– 4 की ओर से श्री नारायण सिह सोढ़ा अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या :– 43 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 44 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 251 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 30 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 92 बीघा 18 बिस्वा आयी हुयी है।जिसकी सयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 35 की है, जिसमें 1/6 हिस्सा वादी संख्या 1 से 3 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 से 14 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 से 33 का है। इसी प्रकार ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा आयी हुयी है।जिसकी सयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 35 की है, जिसमें 1/6 हिस्सा वादी संख्या 1 से 3 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 से 14 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 से 35 का है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड़ा कर लिया है, संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार भूमि का बंटवाड़ा करने का वादीगण की ओर से राजस्व वाद को पेश किया, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 4 के सम्मन की विधिवत् तामिल कराये तथा प्रार्थी संख्या 5 से 12 को बीना कायम मुकाम बनाये ही दिनांक 03.06.201[illegible] को एकतरफा प्राथमिक डिक्री को पारित कर दिया गया। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 03.06.2019से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अन्त म प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 03.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश कर सुनवाई का अवसर देकर दावे का निर्णय गुणावगुण पर किये का आदेश फरमाव।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या – 4 की ओर से श्री नारायण सिंह सोढा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या – 5,11,19,20 से 25,27,28,32,34,39 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ एडवोकट ने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या – 4 की ओर से जवाब पेश किया गया कि पद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है, निर्णय विधि अनुसार बाद तामिल किया गया है। पद संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि सभी पक्षकारान को अलग – अलग समय मे तामिल जारी की गई एवं तामिल अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही की गई एवं वाद तामिल प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे नही उपस्थित हाने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के अलावा न्यायालय के समक्ष कोई अन्य विकल्प भी नही था। पद संख्या 3 का जवाब इस प्रकार है कि अलग – अलग पक्षों का अलग – अलग निवास होना दर्शाया है एवं तामिल कुनिन्दा व डाकिया से साठ गाठ कर प्रतिवादीगण कासे बिना समनो की इन्कारी के फर्जी रिपोर्ट लिखाई है एवं न्यायालय के साथ धोखा कर एकतरफा निर्णय करना बताया है, जो अपने आप में गलत साबित करता है। वादीगण के वाद के 5 साल के विचारण के पश्चात् प्राथमिक डिक्री जारी की गई, इस दौरान सभी पक्षकारान को वादीगण ने बंटवाडा हेतु निरन्तर आग्रह किया जाता रहा एवं किसी पक्षकार को बंटवाडे के वाद में धोखा होने का प्रश्न ही नही है, क्योंकि पक्षकारें के बीच उनके हिस्से अनुसार बंटवाडा कर तरमीम की जाती है, जिसे सभी पक्षों को लाभ पहुचता है। पद संख्या 4,5 गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 6 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण वाद को लम्बा करना चाहते है। वादीगण/अप्राार्थी संख्या 4 का निवेदन है कि प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक माह की अवधि के भीतर साक्ष्य पेश प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जवाब का अवसर दिया जाकर प्रकरण का शीध्र निस्ताररण फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 5,11,19,20 से 25,27,28,32,34,39 ने जवाब पेश नही कर सीधा बहस करने हेतु का निवेदन किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रतिवादीगण के समनों का अवलोकन किये बीना सम्मन की तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 से 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh .
Date: 2022.02.03 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया है। प्रार्थी संख्या 1 से 4 ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा में निवास नही करते है। प्रार्थी संख्या 1 हापूराम राजकीय माध्यमिक विद्यालय माता का थान जोधपुर में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है तथा उसी दिन प्रार्थी संख्या 1 हापूराम स्कूल में था। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2, 3 अपने ससुराल क्रमशः ग्राम झाक व ग्राम भावी में निवास करती है। प्रार्थी संख्या 2, 3 को भेजा गया नोटिस पर लेने से इंकार की रिपोर्ट गलत लिखी गयी है। प्रार्थी संख्या 4 श्रीमती सुमित्रा देवी डालीबाई मंदिर उदयमंदिर जोधपुर में निवास करती है। प्रार्थी संख्या 4 श्रीमती सुमित्रा देवी को भेजा गया नोटिस दिनांक 13.08.2015 कभी भी जोधपुर नही भेजा है। न ही तहसीलदार जोधपुर से किसी प्रकार की तामिल रिपोर्ट प्राप्त हुयी है। प्रतिवादी संख्या 9 ओमप्रकाश कुड़ी भगतासनी जोधपुर में तथा प्रतिवादी संख्या 10 रामनिवास बैंगलोर में स्थायी तौर पर निवास करत है। प्रतिवादी संख्या 9, 10 की तामिल उसके माता द्वारा की गयी है, जो कतई गलत है। प्रतिवादी संख्या 15 देवाराम पुत्र पन्नाराम दावे में पक्षकार है, उसका विवादग्रस्त भूमि में बंट व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 15 को भेजा गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ था, प्रतिवादी संख्या 15 देवाराम का देहान्त दिनांक 30.05.2019 को हो गया, उसके देहान्त हो जाने की सूचना वादीगण द्वारा दी गयी। लेकिन वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 15 देवाराम पुत्र पन्नाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है, प्रतिवादी संख्या 15 देवाराम के विधिक वारिशानों को रेकर्ड पर लिये बीना ही प्राथमिक निर्णय पारित करने में माननीय न्यायालय द्वारा विधिक भुल की गयी है, अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है अन्त में बहस कर निवेदन किया कि प्राथमिक निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 03.06.2019 को निरस्त फरमाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करे। अप्रार्थी संख्या 4 ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा का निर्णय शीध्र से शीध्र करने का आदेश फरमावे। अप्रार्थी संख्या 5,11,19,20 से 25,27,28,32,34,39 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर दावे का निस्तारण किया जावे।

बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 तथा अप्रार्थी संख्या 5,11,19,20 से 25,27,28,32,34,39 की ओर से प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही है। दावे की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि प्रार्थी संख्या 1 से 4 को भेजे गये नोटिस पर लेने से इंकार की रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा द्वारा गलत लिखी गयी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 9,10 की तामिली रिपोर्ट गलत है। प्रतिवादी संख्या 15 देवाराम का देहान्त हो गया है तथा उसक देहान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.05.2019 को हो गया, उसको सुचना भी वादीगण द्वारा दी गई, लेकिन वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 15 देवाराम के विधिक वारिशानों को रेकर्ड पर लिए बीना प्राथमिक निर्णय पारित किया है, जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्राथमिक निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 03.06.2019 निरस्त किया उचित है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए दावे में प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना उचित है। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 03.06.2019 को निरस्त किया है तथा सम्बंधित मूल वाद संख्या 60/2015 नारायणराम बनाम नाथूराम वगैराह में उपरोक्त प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाता है तथा उपरोक्त मूल वाद संख्या 60/2015 पुनः वास्ते जवाब प्रतिवादीगण हेतु पेश हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नत्थी की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:06 IST
Reason: SelfAttested